

27.03.2026.

अ.प.प. उप.) अभियुक्त गण रुयी उप.)

गवाहान नरेनु सिंह P.W. 17 एवं बलबीर
प्रसाद P.W. 18 के बयान लेख बंद हो
गये। अभियोजन के अन्य कोई साक्षी-
घटीहित होना शेष नहीं है।

अतः साक्ष्य- अभियोजन समाप्त की
जाती है। यथा वार्ता बयान मुज.
दिनांक 08.04.2026 को पेश हो।

प्रमोद कुमार राणा

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाराँ
(राज.)

मुजिफ

अ.प.प. उप.)

अ.प.प. उप.)